आप्रवासी रक्षा परियोजना समुदाय में आप्रवासन और सीमा षुल्क प्रवर्तन (आईसीई) गिरफ्तारियों की निगरानी करती आ रही है।

आपने अधिकारों के बारे में आईईसी के साथ जानें।

आईईसी द्वारा गिरफ्तार किए जाने का जोखिम किसे है?

कानून संघीय सरकार को कुछ अप्रवासियों को निर्वासित करने की अनुमति देता है, जिनमें निम्नलिखित अप्रवासी षामिल हैं :

- कोई भी जो वैध आव्रजन स्थिति के बिना हो
- ऐसी स्थिति वाले लोग जैसे कि वैध स्थायी निवासी, षरणार्थी और वीज़ा धारक) जिन पर कुछ न कुछ आपराधिक दोश हैं

संघीय सरकार आईसीई को यह निर्देष देती है कि गिरफ्तारी के लिए किसे निषाना बनाया जाए। आईसीई के अधिकारी उन लोगों की गिरफ्तारी को प्राथमिकता देने का फैसला करेंगे जिनका वे दावा करते हैं कि :

- राश्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करना
- 1 नवंबर 2020 या इसके बाद गैर कानूनी तरीके से संयुक्त राज्य अमरीका में दाखि हुए हों, या
- ''सार्वजनिक सुरक्षा'' के लिए मौजूदा खतरा पैदा करना। आईसीई इन कारकों पर विचार करेगा, जैसे कि :
    - पुलीस द्वारा किसी व्यक्ति पर मौजूदा आपराधिक मामले या गिफ्रतारी
    - हथियारों या इस से संबंधित कोई भी दोश

इन प्राथमिकताओं को वाइडन प्रषासन के अधीन दो बार बदला गया है और दोबारा भी बदला जा सकता है। चाहे आपको विष्वास हो कि आप इन प्राथमिकताओं में नहीं आते, अगर आप देष निर्वासन के पक्ष से कमजोर हो तो आपको गिफ्रतार करने का फैसला आईसीई द्वारा किसा जा सकता है।

वो लोग जिन के पास कानूनी रुतबा है आरै पुराने दोश उन पर हों।

ध्यान रखें : आप निषाना हो सकते हैं, चाहेः

- आप पर दोश या सज़ा कई साल पहले के हैं।
- चाहे आपने जेल में समय नहीं गुजारा है।
- आपका अपराध छोटा या मामूली था।
- आप काफी लंबे समय से स्थाया कानूनी निवासी हों, और/या
- आपके परिवार के बाकी सब सदस्य अमरीका के नागरिक हैं।

आप्रवासन और सीमा षुल्क प्रवर्तन (आईसीई) संघी सरकार ऐजंसियों में से एक है जो लागों के निवार्सन देने के लिए जिम्मेवार है। आईसीई अमरीकी होमलैंड सुरक्षा विभाग (डीएचएस) का हिस्सा है।

क्या निर्वासन व सीमा षुल्क प्रवर्तन (आईसीई) ऐसे किसी व्यक्ति से सम्पर्क कर सकती है जिसे वे समझते हैं कि वो निर्वासित कर सकते हैं?

आईसीई ऐजंट आम तौर पर उस अधिकारी की पहचान करते हैं जिस को वह समय से पहले गिफ्रतार करना चाहते हैं। फिर, उस व्यक्ति को ढूढनें के लिए घरों, कोर्ट रूम, आश्रय घरों और पही तक की काम वाले स्थानों पर भी वो जा सकते हैं। कई बार वो गिफ्रतारी के लिए सड़क पर पर इंतजार / नाकेबंदी कर सकते हैं।

अगर मुझे पता चल जाए कि मैं जोखिम में हूं तो मैं क्या कर सकता/सकती हूं?

- अगर आप आईसीई द्वारा गिफ्रतार किसे जाते हो तो आपपी निकटतम सहियोगियों के साथ **एक योजना बनाऐं।**
- **अप्रवासन (इमीग्रेषन) अधिकारियों के सम्पर्क में आने से बचें** – बिना अपने वकील की सलाह के अपनी अप्रवासन (इमीग्रेषन) स्थिति या अपने ग्रीन कार्ड को नवीनीकृत करवानें के लिए प्रार्थना पत्र न दें और न ही अमरीका से बाहर की यात्रा करें।
- **आपराधिक न्याय प्रणाली (क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) के साथ संपर्क में आने से बचें।** पुलीस आने उँगलियों के निषान अप्रवासन विभाग के साथ साझा कर सकती है।

अगर आपके या आपके किसा नज़दीकी को निर्वासन का खतरा है तो एक योजना की तैयारी करके रखें।

यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कौन से अधिकार हैं और इनका इस्तेमाल करना कितना उलझन भरा है।

आईसीई समुदायक गिफ्रतारियों के बारे में और जानकारियों के लिए **immigrantdefenseproject.org/ice-arrests** पर आईडीपी की लंबी पुस्तिका को देखें या **KYR@immdefense.org** पर संपर्क करें

यदि आप न्यूयार्क षहर (एन वाईसी) में छापेमारी की रिर्पाट करना चाहते हैं तो आईडीपी को 212–725–6422 पर कॉल कर सकते हैं।

यह सामग्री जानकारी के उदेष्य से प्रदान की जाती है और इसमें किसी तरह की कानूनी सलाह षामिल नहीं होता। चित्र व सामग्री
Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Intl. License. (creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) © 2021

अगर आईसीई ऐजंट सड़क पर या सार्वजनिक स्थान पर पर मुझ से संपर्क करते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए?

जब आईसीई ऐजंट सड़क सार्वजनिक तौर पर किसी को गिफ्रतार करते हैं (या किसी कार को रोकने के बाद), यह आम तौर पर एकदम होता है। वे आपका नाम ऊँची आवाज़ में पुकार सकते हैं और आपको आपके नाम की पुश्टी के लिए कह सकते हैं और फिर आपको हिरासत में ले सकते हैं।

- अपना नाम और कुछ कहने से पहले, पूछें, **"क्या मैं जाने के लिए स्वतंत्र हूँ?"**
  - **अगर वो हां कहते हैं** तो कहें, "मैं आपके प्रष्नों के उत्तर नहीं देना चाहता" या "मैं इस समय आपके साथ बात नहीं करूंगा।" और चले जाएँ।
  - **अगर वो ना कहते हैं** – चुप रहने के अपने अधिकार का प्रयोग करें। कहें, "मैं अपके प्रष्नों उत्तर न देने और अपने अधिकरों की प्रयोग करना चाहता हूँ।" और फिर कहें "मैं किसी वकील से बात करना चाहता हूँ।"
- अगर वो आपकी जेबों सा सामान की जांच (तालाषी) करनी षरू करते हैं, तो कहें, "मैं आपको अपनी तालाषी की अनुमति नही देता।"
- **झूठ न बालें और झूठे दस्तावेज़ न दिखायें। भागें नहीं और न ही गिफ्रतारी का विरोध करे।**
- अपनी आप्रवासन स्थिति और आपका जन्म कहां हुआ है, के बारे में पूछे गए प्रष्नों का उत्तर न दें। वो आपके द्वारा दी गई किसी भी जानकारी को आपके विरुद्ध प्रयोग कर सकते है। कोई भी विदेषी दस्तावेज़ जैसे कि पार पत्र (पास्पोर्ट), कौंसलर पहचान पत्र, या अपनी अवधि पूर्ण कर चुका वीज़ा उन्हें न दें।
- अगर आप किसी न्यायिक तारीख के लिए आपराधिक न्यायालय में हैं, तो गिफ्रतार किए जाने से पहले अपने वकील कि साथ बात करने कि लिए कहें, इससे पहले कि वो आपको ले जाएँ।

यदि अधिकारी में घर पर आ जाते हैं, तो क्या मुझे पता लगेगा कि वो आईसीई से हैं?

हमेंषा नहीं! सावधान रहें : आईसीई ऐजंट आमतौर पर पुलीस के भेश में आते है और आपके साथ आपकी पहचान की चारी या चल रही जांच के बारे में बातें करने की बात कहते हैं।

क्या आईईसी के ऐजंट मेरी गिफ्रतारी के लिए मेरे घर में प्रवेष कर सकते हैं?

यदि ऐजंटों के पास जज द्वारा हस्ताक्षर किए वारंट नहीं हैं, तो वो किसी भी व्यस्क (बालिग) व्यक्ति के घर उसकी आज्ञा के बिना घर में प्रवेष नही की कहते हैं। दरवाज़ा पर दस्तक करना उनको आपके घर में दाखिल होने की आज्ञा नहीं देता है।

यदि अधिकारी मेरे घर के दरवाज़े पर हैं तो मैं क्या करूँ?

- यह पता करें कि वो डीएचएस से हैं सा आईसीई से।
- षांत रहने की कोषिष करें। निम्रता बनाये रखें। झूठ न बोलें। कहें, **"मैं इस समय आपके साथ बात नहीं करना चाहता।"**
- निम्रता से उनको जज द्वारा हस्ताक्षर किए वारंट को देखने के लिए दरवाज़े कि नीचे से खिसकाने कि लिए कहें। अगर उनके पर कुछ ऐसा नहीं है तो उन्हें उन्हें भीतर प्रवेष करवाने से इनकार करें।
- यदि वो किसी और को ढूंढ रहे हैं, तो **उन्हें अपनी संपर्क जानकारी देने के लिए कहें।** आपको उनको यह बताने की आवष्यकता नहीं हैं कि व्यक्ति को कहां ढूंढना है और आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए।

यदि आईसीई गिफ्रतारी कि लिए मेरे घर के अन्दर है तो मैं क्या कर सकता / सकती हूँ?

- उन्हें बतायें यदि घर में कोई बच्चा या कमज़ार परिवारिक सदस्य है।
- अगर उनके पास जज द्वारा हस्ताक्षरित किए वारंट ना हों तो उन्हें घर से बाहर जाने कि लिए कहें।
- यदि वो आपकी आज्ञा के बिना न्दर आये हैं, तो उन्हें कहें, **"मैं अपने घर में आपकी उपस्थिति से सहमत नहीं हूँ। कृपा करके यहां से जाएँ।"**
- यदि वे आपके घर के कमरों व चीज़ों की तालाषी लेना षरू करते हैं तो उनको कहें, **"मैं आपके द्वारा ली जा रही तालाषी से सहमत नहीं हूँ।"**
- अगर आईसीई अधिकरी आपके गिफ्रतार कर रहे हैं, तो उनको बताएं कि आपको सेहत से संबंधित समस्याएं हैं या अपको अपने बच्चों की देखभाल के लिए प्रबंध की आवष्यकता है।

यदि मुझे आईसीई द्वारा गिफ्रतार किया जा रहा है तो मेरे अधिकार क्या हैं?

- आपको **चुप रहना** होगा। आपक वकील के साथ बात करने का अधिकार है।
- **झूठ न बोलें।** इससे भविश्य में आपको नुकसान पहंच सकता है।
- आपको इस बारे में **काई भी जानकारी साझा करने की आवष्यता नहीं है** कि आपका जन्म कहां हुआ था, आपकी अप्रवासन स्थिति क्या है, और आपक काई आपराधिक रिकॉर्ड। प्रष्नों के उत्तर देने की बजाए उनको किसी वकील के साथ बात करने के लिए कहें।
- आपको अपने **दस्तावेज़ या पास्पोर्ट देने की आवष्यकता नहीं ह।** जब तक कि उनके पास जज द्वारा हस्ताक्षरित किया कोई वारंट ना हो।
- आपको किसी भी **दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने कि आवष्यकता नहीं है।**

आईडीपी द्वारा इस जानकारी को नवंबर 2021 में संषोधित किसा गया था। और अधिक जानकारी के लिए
immigrantdefenseproject.org/ice-arrests पर आईडीपी की लंबी पुस्तिका देखें।

IDP IMMIGRANT DEFENSE PROJECT
www.immigrantdefenseproject.org
KYR@immdefense.org